

आदेश नं इकासास अन्तर सिद्ध वेवरा आईएएस, जिला कलकत्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
संख्या संख्या 221/2021 (भाग 14 विनोदित/संशोधन)

अभिप्रेत प्रमाण पत्र, संख्या सं- 22, से 21, दिनांक 14, मीलगाव टावर तथा सख्त, जयपुर।

प्राप्ति

समाप्त

1. श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री हरिहर गुप्ता
2. श्री एन. ए. गुप्ता गुप्ता गुप्ता श्री राज गुप्ता गुप्ता  
प्लॉट नं. 290, फ्लैट नं. जी-02, शाहजहाद क्वार्टर, पटेल नगर, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर
3. श्री संतोष कुमार अग्रवाल गुप्त शाहर मल अग्रवाल  
प्लॉट नं. 190 गुप्ता नगर, सीओ सीएच, न्यू सांगानेर रोड, तहसील सांगानेर जिला, जयपुर

अप्राप्तिगत  
श्रीमती एवं गारण्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

उपस्थित -

1. प्रतिनिधि प्राप्ति वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 07.12.2021

1. लक्ष्य में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राप्ति वित्तीय संस्था ने अप्राप्ति श्रीमती को दिनांक 16.12.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री हरिहर गुप्ता के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 290, स्थित फ्लैट नं. जी-02, शाहजहाद क्वार्टर, पटेल नगर, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1150 वर्गफिट सुपर बिल्डअप एरिया को बन्धक रख कर राशि कुल 22,25,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राप्ति श्रीमती द्वारा प्राप्ति वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राप्ति श्रीमती को दिनांक 01.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मध्य प्राप्ति भुगतान नहीं करने पर प्राप्ति वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमपॉउंट (जयपुर) उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

मजिस्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत वस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर, 2003 को क्रम संख्या 4 पर सार्वभौम अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 22,26,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 24,63,251/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का मौखिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री हरिशंकर गुप्ता के स्वामित्व की बन्धक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 230, स्थित फ्लैट नं. जी-02, ग्राउण्ड फ्लोर, पटेल नगर, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1150 वर्गफिट सुपर विट्टअप एरिया का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सारे इजलास सुनाया गया।

7/12/21  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर